

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम)

देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में जलागम प्रबन्ध निदेशालयन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1386/3-2(ब) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2401-फसल एवं कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-97-बाह्य सहायतित योजना-9701-उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत मानक मद 25-लघु निर्माण में हो रही बचत रु0 4.31 लाख को अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2401-फसल एवं कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद 01- वेतन में रु0 4.31 लाख (रु0 चार लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2018 तक उपयोग कर लिया जाएगा। उक्तानुसार प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में पुनर्विनियोजित धनराशि का समर्पण कदापि नहीं किया जायेगा, यदि पुनर्विनियोजित धनराशि का समर्पण किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन 97-बाह्य सहायतित योजना-9701-उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकरण जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0 9 के स्तम्भ 1 में अंकित 25-लघु निर्माण कार्य की मद में हो रही बचतों से स्तम्भ-7 में अंकित सुसंगत मानक मद के नामें डाला जाएगा।



5. यह आदेश पत्रसंख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी S1712470182 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 117/XXVII-4/2017 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक—उक्तानुसार।**

भवदीया,

(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव

**संख्या : 163 / ज0प्र0अनु0 / 2017-05-02(02) / 2014 तददिनांक।**

प्रतिलिपि बी0एम0-15 की प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

**संलग्न तथोपरि**

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)  
अपर सचिव



उत्तराखण्ड शासन  
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)  
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 017  
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 763/Jalagam anubhag/20

अनोटेट आईटी - R1712170124  
दिनांक - 06-Dec-2017

क्रम संख्या	व्यय प्राविधान तथा सेवाश्रीक (1)	मानक पर्यवार अर्थशास्त्रिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सार्वजनिक समायोजित धरराशी (4)	सेवाश्रीक विषये धरराशी स्थानान्तरित की जाती है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धरराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धरराशी	(In Rupees) राशियाँ
	2401 फसल कृषि कर्म 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 97 बाह्य सहायता योजना 01 उत्तराखण्ड विकेन्द्रित अणुसंध विद्या (Voted)				2401 फसल कृषि कर्म 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 06 अणुसंध प्रबन्ध निदेशालय/पीएम 00 0 (Voted)			
1	25 - पशु निर्माण कार्य योग	217188	4151812	431000	01 - वेतन योग	431000	4928000	4368000

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट अनुबल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-4  
यु0अ0 संख्या-117/XXVII-4/2017  
देहरादून दिनांक-06 दिसम्बर, 2017

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(अरुणोद्द सिंह चौहान)  
अपर सचिव, वित्त विभाग

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,  
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा,  
देहरादून।

संख्या /ज0प्र0अनु0/17-05-02(02)/2017तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित।

- 1- मुख्य परियोजना निदेशक, जलानाम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, जालनवाला, देहरादून।
- 3- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)  
अपर सचिव,  
कृषि एवं विपणन(जलानाम)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Jalagam (S026)

आवंटन पत्र संख्या - 763/jalagam anubhag/2017-05-02(2)/2014

अनुदान संख्या - 017

अलोटमेंट आई डी - S1712170182

आवंटन पत्र दिनांक - 18-Dec-2017

HOD Name - Director Watershed Management (4798)

- 1: लेखा शीर्षक 2401 - फसल कृषि कर्म 00 -  
001 - निदेशन तथा प्रशासन  
06 - जलायम प्रबन्ध निदेशालय/पीएमकेएसवाई (2401-00-800-05 से स्थानान्तरित)  
00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	4497000	431000	4928000
03 - महंगाई भत्ता	270000	0	270000
04 - यात्रा व्यय	100000	0	100000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	315000	0	315000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	0	50000
	5282000	431000	5713000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

431000

*B. J. Rawar*  
18/12/17  
(विमल बल्लभ सिवारी)  
अनुभाग अधिकारी  
कृषि एवं विपणन (जलायम)  
उत्तराखण्ड शासन

